18-4-17 वकील प्रार्थी उपस्थित पैरोकार राज उपस्थित
पैरोकार राज द्वारा अंकन किया गया कि
भूमि रहन होने के कारण रहन मुक्त होने
की दशा में पालना किया जाना उचित है।
अतः पत्रावली का अवलोकन किया भूमि
रहन होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित
नहीं है अतः भूमि रहन मुक्त होने पर
पुनः प्रार्थना-पत्र पेश करने की स्वतन्त्रता
के साथ पत्रावली वर्तमान स्तर पर
खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर
से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो।

(यशपाल आहूजा)